न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 29 / 2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023 / 131

प्रार्थीः—

1. शांति पुत्री देवराज पत्नी धर्मेन्द्र चौपड़ा
2. सपना पुत्री देवराज जातिगण जैन जातिगण जैन निवासीगण ग्राम पंचायत खौड़ तहसील रानी जिला पाली राजस्थान हाल निवासी भैरव सृष्टि 150 रोड ऑपोजिट मेक्सीमॉल ए.बी. 5 फ्लोर रूम नम्बर 505 भायन्दर जिला ठाणे महाराष्ट्र

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. संगीता पुत्री देवराज
2. संजु पुत्री देवराज
3. सुरेखा पुत्री देवराज
4. वीणा पुत्री देवराज
5. भावेश पुत्र देवराज
   जातिगण जैन, निवासीगण ग्राम खौड़ तहसील रानी जिला पाली हाल निवासी प्रथम माला रूम नम्बर 101, अम्बिका कुंज शिवसेना गली भयंदर वेस्ट जिला ठाणे महाराष्ट्र
6. चन्द्र प्रकाश पुत्र पनराज मेहता निवासी तिलक नगर भाकरी रोड पाली
7. कमल पुत्र पनराज मेहता
8. मंजु पुत्री पनराज मेहता
9. कुसुम पुत्री पनराज मेहता
10. राजेन्द्र पुत्र पनराज मेहता
    जातिगण जैन निवासीगण ग्राम खौड़ तहसील रानी जिला पाली हाल निवासी 104 परेशनगर 4 बी देवीचंद नगर जैन मंदिर भायन्दर वेस्ट जिला ठाणे 401101
11. सरपंच ग्राम पंचायत खौड़ तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश विदावत।
3. अप्रार्थी संख्या 6 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।

<u>—: निर्णय :—</u>

दिनांक : 30|06|2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 15 दिनांक 12.07.1995, प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 30.05.1996 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 403 दिनांक 18.06.1996 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को प्रकरण में फोरमल पक्षकार होना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खौड़ में दर्जीयों के बास में वनराज मेहता पुत्र सुखराज का एक पुश्तैनी रहवासीय मकान आया हुआ है, जिसके उत्तर दिशा में सुरजमल, मोतीलाल, रूपराज, शिवराज का मकान, दक्षिण दिशा में गीलाराम पुत्र लुम्बाराम माली का मकान, जिसका दरवाजा व रास्ता पूर्व दिशा में तथा पश्चिम दिशा में पुखराज, गुलाबचंद व छगनराज जैन का मकान स्थित है। वनराज ने जैर आराजी लिखित बंटवाडा दिनांक 11.07.1977 को अपने दो पुत्र पनराज व देवराज को कर दिया तथा देवराज व्यापार के सिलसिले में अस्थायी रूप से शहर बाली में निवास कर रहा था, उस दरम्यान् पनराज ने ग्राम पंचायत खौड़ में गलत प्रस्ताव पारित करवा कर सम्पूर्ण भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। वनराज ने अपने जीवनकाल में उक्त लिखत के अलावा कोई अन्य वसीयत निष्पादित नहीं की। उक्त मकान का उत्तरी भाग में देवराज के वारिसान निगरानीकर्ता व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का रहवास व कब्जा आज भी निरन्तर है इसलिये वे उक्त मकान के 1/2 हिस्से पर अपना अधिकार रखते है तथा दक्षिणी भाग पनराज के वारिसान के हिस्से में है। पनराज के वारिसान भंयदर व पाली रहते है इसलिये उक्त मकान पर आज दिन तक उनका कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.01.2022 को उक्त मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश करने पर जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। जैर निगरानी पट्टा जारी करने हेतु न तो कोई शुल्क जमा करवाया गया, न ही नक्शा बनाने के आदेश दिये, न ही मौका निरीक्षण किया गया। बिना कोई प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी किया गया। पनराज ने फर्जी वसीयत अपनी पत्नी सोहन कवंर के नाम की बना कर ग्राम पंचायत को गुमराह करते हुये उक्त पट्टा जारी करवाया। इसी मकान की पूर्व में भी मिसल कायम की गई थी, जिसमें देवराज द्वारा दिनांक 18.05.1977 को आपत्ति पेश की गयी तथा ग्राम पंचायत के नोटिस का जवाब दिया गया। उसके उपरान्त बाले बाले नयी मिसल खोल दी गयी तथा इसी मिसल के अडौस पडौस द्वारा आपत्ति पेश की गयी है। जैर निगरानी पट्टे हेतु जो आवेदन पेश किया उसमें उद्योग के तथ्य अंकित है अर्थात् यह पट्टा आवासीय नहीं है। अप्रार्थी ने जो वसीयत पेश की है उस पर हस्ताक्षर नहीं है और उसे प्रोबेट नहीं किया। जैर निगरानी पट्टा नियम 266 के तहत बनाया गया जबकि उस समय नया एक्ट आ गया था। प्रथम मिसल में मेरा हिस्सा था, उसे छिपाकर विधिविरूद्ध तरीके से नंई मिसल कायम कर पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा गलत तरीके से जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का समर्थन करते हुये उज किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 से 10 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता ने यह स्वीकार किया कि जैर निगरानी पट्टे पर निर्मित मकान बनराज मेहता का स्वअर्जित है। बनराज ने वसीयतनामा दिनांक 02.10.1984 के जरिये उक्त मकान पनराज की पत्नी सोहनकंबर को दे दिया, जो कि दस्तावेज लेखक के रजिस्टर के क्रम संख्या 277 दिनांक 02.10.1984 पर अंकित है। देवराज को बाली में स्थित मकान देकर अलग हो गये और वर्तमान में बाली में ही निवासरत है। पनराज द्वारा वर्ष 1977–78 में ग्राम खौड में नया मकान बनावाने का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खौड द्वारा दिनांक 17.06.1978 को जारी किया गया तथा पनराज के परिवार कार्ड जो कि दिनांक 16.05.1983 को है, में सम्पूर्ण विवरण दर्ज है। बनराज की वसीयत 1984 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे की जानकारी देवराज को होने पर उनके द्वारा दिनांक 18.01.1998 को जैर निगरानी पट्टे की प्रतिलिपी हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जो कि उन्होनें दिनांक 26.04.1998 को प्राप्त की। देवराज को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी होने के उपरान्त भी उन्होनें अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं की और निगरानीकर्ता को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी होने के लगभग 25 वर्ष पश्चात उक्त निगरानी पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। सम्पूर्ण मकान पर पनराज मेहता का कब्जा व रहवास होने से उन्होनें उक्त मकान को वर्ष 2006 में किराये पर दिया था तथा हमारे कब्जे में होने से पनराज के वारिसान के नाम से बिल पेश किये। अप्रार्थी बाली मकान में निवासरत होने से उनका जैर निगरानी मकान पर कोई कब्जा नहीं होने से उनके पास यहां के कोई दस्तावेज नहीं है तथा जैर निगरानी मकान पर पनराज के द्वारा निर्माण कार्य करवाये गये। पनराज की पत्नी की म ृत्यु के बाद स्वयं के नाम से आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण जांच कर पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस पट्टे के सम्बन्ध मे देवराज ने गली के सम्बन्ध में आपत्ति पेश की, जिसे निस्तारित करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीगण 1977 के बंटवाडे आधार पर 1/2 हिस्सा मांग रहे है जबकि बंटवाडे पर जैर आराजी मकान की भूमि का कोई तार्किक कथन नहीं है, इसलिये उक्त मकान पर प्रार्थीगण के आधे–आधे हिस्से तथ्य गलत है। सोहनकंवर के पक्ष में हुई वसीयत में प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। वसीयत पेश की है उस पर हस्ताक्षर नहीं है और उसे प्रोबेट नहीं किया। अतः प्रार्थीगण द्वारा देरीना तथा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी खौड़ द्वारा मिसल संख्या 15 दिनांक 12.07.1995, प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 30.05.1996 एवं उसकी पालना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

में जारी पट्टा संख्या 403 दिनांक 18.06.1996 के विरूद्ध पेश की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस यह कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता देवराज को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी वर्ष 1998 में ही हो गयी थी, लेकिन उनके द्वारा जैर निगरानी याचिका 25 वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत की गयी, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.01.2022 को उक्त मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश करने पर जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई और वाद हेतुक दिनांक 01.05.2023 को पैदा होने पर जैर निगरानी याचिका नियत समय में पेश की गई। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार देवराज ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 18.01.1998 को प्रार्थना–पत्र पेश कर जैर निगरानी पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी, जो कि उन्हें दिनांक 26.04.1998 को प्राप्त हो चुकी थी अर्थात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता को वर्ष 1998 में ही जैर निगरानी पट्टे की सचेष्ट रूप से जानकारी हो गयी थी उसके उपरान्त भी उनके वारिसान द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका लगभग 25 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब के बाद प्रस्तुत की गयी और उनके द्वारा उक्त विलम्ब के भी कोई स्पष्ट कारण प्रलिक्षित नहीं किये है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1225 Gordhan & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953–धारा 27ए–ग्राम पंचायत ने 125 भूखण्ड नलामी द्वारा बेचे–बाजार दाम से कम मूल्य पर भूखण्ड बेचने की शिकायत पर कलेक्टर ने विक्रय निरस्त किया–उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर का आदेश अपास्त किया गया–उच्च न्यायालय के निर्णय के 7 वर्ष बाद पंचायत विस्तार अधिकारी ने विभिन्न निगरानियां पेश की–जांच रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्य नहीं–पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के उपयोग में 6–7 वर्ष का असाधारण विलम्ब–जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के ध्यान में नहीं लाई गई और उसमें उल्लेखित आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया–22 वर्ष पूर्व भूखण्ड क्रय किये और अब निलामी क्रेताओं को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा–आदेश अपास्त किया। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय का अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार–प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के पिता को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी होने के उपरान्त भी उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप या वाद प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु उनके देहान्त के पश्चात् उनके वारिसान द्वारा प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में जैर निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी, जिस कारण प्रथमदृष्टया पक्षकारों द्वारा न्यायालय हाजा में स्वच्छ हाथों से नहीं आना दृष्टिगोचर होता है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका प्रार्थी के पिता को प्रश्नगत पट्टे की सचेष्ट रूप से जानकारी होने के उपरान्त लगभग 25 वर्ष बाद देरीना के बिना कोई ठोस व स्पष्ट कारण बताये हुये प्रस्तुत की, जो प्रथमदृष्टया म्याद के आधार पर खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस मुख्य रूप से कथन किया कि जैर निगरानी मकान का बंटवाड़ा वनराजजी के द्वारा दिनांक 1977 को कर दिया गया था तथा वनराजजी के वारिसान पनराज व देवराज उक्त बंटवाडें के द्वारा जैर आराजी मकान का 1/2–1/2 हिस्सा मिला परन्तु पनराज ने उपरोक्त तथ्यों को छुपाते हुये ग्राम पंचायत से विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा लिया। विपक्षी अधिवक्ता ने उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुये उज्र किया कि अधिवक्ता प्रार्थी जिस बंटवाडे का जिक्र कर रहे है उसमें जैर निगरानी मकान की प्ररिथति एवं उसके क्षेत्रफल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, साथ ही उक्त बंटवाडा पंजीबद्ध भी नहीं है। इस सम्बन्ध में पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(बी) में कहा गया है कि यदि कोई दस्तावेज अचल सम्पति में अधिकार का हस्तान्तरण करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है अर्थात् यदि बंटवारा लिखित दस्तावेज के माध्यम से किया गया था, तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। इसके अतिरिक्त वनराज ने वसीयतनामा दिनांक 02.10.1984 के द्वारा प्रश्नगत मकान पनराज की पत्नी सोहनकंवर के पक्ष में निष्पादित किया एवं उक्त वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर भी है और प्रश्नगत मकान के पडौस का भी स्पष्ट उल्लेख है, साथ ही उक्त वसीयत दस्तावेज लेखक के रजिस्टर की क्रम संख्या 277 दिनांक 02.10.1984 में अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा भी अपंजीबद्ध दस्तावेज है परन्तु वसीयत का रजिस्ट्रेशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। इसका मतलब है कि 1984 में बनाई गई वसीयत, यदि वह विधि सम्मत तरीके से बनाई गई है (जैसे गवाहों के हस्ताक्षर के साथ), तो वह बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैध मानी जाती है। इसलिये उपरोक्त दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पर स्थित मकान पनराज की पत्नी सोहनकंवर के पक्ष में आई थी। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क विधिनुरूप व दस्तावेजों से साबित होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का वक़्त बहस अन्य उज्र यह था कि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत Probate नहीं है, इसलिये स्वीकार योग्य नहीं है। इसके विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने उज्र किया कि राजस्थान में वसीयत को Probate कराने की आवश्यकता नहीं है और इस आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सकता। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2002(1) DNJ (Raj.) 83 Sultan Singh vs Brijraj singh के अनुसार Indian Succession Act, 1925-Sec. 213- Execution of decree-Probate of Will-Obtaining probate of will not necessary in State of Rajasthan. इसी प्रकार 2007(2)DNJ (Raj.) 585 Mukund Bihari Sharma vs Shri Satya Narayan में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "In the State of Rajasthan it si not necessary to obtain probate or letters of administration of the Will as othervise required under Section 213 of the Indian Sucession Act." अतः यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य में वसीयत को प्रोबेट किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये उपरोक्त आधारों से अधिवक्ता प्रार्थीगण का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस यह स्वीकृत कथन रहा कि जैर निगरानी आराजी पर उनका कब्जा है और वहां पर निवासरत है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने इन कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि देवराज को बाली स्थित मकान दिया तथा पनराज को ग्राम खौड में स्थित मकान दिया गया और तब से देवराज व उनके वारिसान बाली ही निवासरत है। जैर निगरानी मकान पर केवल पनराज ही निवासरत थे और वर्तमान में उनके वारिसान निवासरत है, जिनकी ताईद में उन्होनें ग्राम पंचायत खौड़ का प्रमाण–पत्र, परिवार कार्ड, पनराज के पुत्र की टी.सी., पनराज के पुत्र कमल प्रकाश का आन्तरिक मुल्यांकन एवं चरित्र–प्रमाण, बिजली बिल, पानी बिल, ग्राम पंचायत की गृह कर रसीद, निर्माण कार्य रसीद, किराया चिट्ठी पेश की। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.06.1978 को जारी प्रमाण–पत्र अनुसार पनराज ने ग्राम खौड में नया मकान, कमरे, बरन्डा, रसोईघर बनवाये। परिवार कार्ड, जो कि सोहनकंवर पत्नी पनराज के नाम से दिनांक 16.05.1983 को बनाया गया है, उस पर भी पता ग्राम खौड अंकित है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत की रसीद और उस पर अंकितानुसार वर्ष 1975 से हाउस टेक्स पनराजजी के नाम से जमा है, जिसे अधिवक्ता प्रार्थीगण ने भी नकारा नहीं है। साथ ही उपलब्ध किराया चिट्ठी दिनांक 31.07.2006 एवं दिनांक 18.05.2016 के अनुसार सम्पूर्ण मकान को पनराज मेहता के वारिसान के द्वारा किराये पर दिया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में मौखिक कथनों के अलावा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसलिये पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों के आधार पर यह तो सुस्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी पर निर्मित मकान वर्तमान में पनराजजी के वारिसानों के कब्जे सुदा है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण के कब्जे के सम्बन्ध में कथन प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का इस सम्बन्ध में यह उज्र था कि 1994 में पंचायती राज के नये नियम प्रभाव में आ गये थे, इसलिये नियम 1961 के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तथ्यों को विरोध करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल वर्ष 1995 में दर्ज की गयी और पंचायतरी राज के नये नियम वर्ष 1996 में प्रभावी हुये तथा ग्राम पंचायत द्वारा उसी अनुरूप तत्समय प्रभावी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि जैर निगरानी पट्टा तत्समय प्रभावी नियमों के तहत जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्क की जैर निगरानी पट्टे की पूर्व में मिसल कायम हो रखी है और उसके तथ्य छुपाकर पुनः नई मिसल कायम कर दी परन्तु अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में मौखिक कथन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज अथवा मिसल की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों के अनुरूप है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 256 के तहत कोई भी व्यक्ति जो पंचायत से कोई आबादी भूमि खरीदना चाहता है, पंचायत को लिखित में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा, इस सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा दिनांक 28.02.1994 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 18.03.1994 को प्रशासक गाम पंचायत खौड को भेजा गया और पट्टाधारक द्वारा कोर्ट फीस जरिये रसीद संख्या 94 दिनांक 24.03.1994 के द्वारा जमा करवाये गये। पट्टाधारक ने अपने प्रार्थना–पत्र में उद्योग हेतु ऋण लेने के उद्देश्य से पट्टा प्राप्त करने का निवेदन किया है इस कारण के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उज्र किया कि उक्त पट्टा आवासीय न होकर व्यवसायिक है, जो कि सारहीन, बलहीन एवं तर्कहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 25.08.1995 , जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें नियम 257 के तहत सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने एवं मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। प्रश्नगत नक्शे में नियम 257(5) के तहत बेची जानी वाली भूमि की सीमाओं को लाल स्याही द्वारा बतलाई गई, जिस पर नक्शा बनाने वाले, सायल एवं सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के अनुरूप है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य हैं।

हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 15.11.95 के द्वारा आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 260(1) की पालना में प्रपत्र 50 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया एवं उपनियम (2) के तहत निर्धारित रिति से, ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित की गयी तथा उक्त आपत्ति इश्तिहार को चस्पा किया गया, जिसके प्रतीक स्वरूप दो गवाहों के हस्ताक्षर नोटिस की पुश्त पर उपलब्ध है। प्रकरण में पडौसियों द्वारा आपत्ति पेश की गई, उसे जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस नोटिस भिजवाकर सबूत पेश करने हेतु लिखा गया। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की गई एवं आपत्तिकर्त्ताओं की आपत्ति वाजीब नहीं होने से खारीज की गई। साथ ही प्रकरण में पट्टाधारक पनराज एवं कब्जा सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान लिये गये,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिस पर उनके अगुंष्ठ निशान है एवं सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 266 में निहित प्रावधानों की पालना की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 6 से 10 के पिता पनराजजी को पंचायतीराज नियमों के तहत पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की पालना करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी मिसल एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत मिसल एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 15 दिनांक 12.07.1995, प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 30.05.1996 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 403 दिनांक 18.06.1996 को यथावत् रखा जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली